Advocacy, policy and support on male sexualities
Naz Foundation International

विकास हस्त-पुस्तिका

पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों एवं उनके परिवारिक सदस्यों के एच०आई०वी०/एड्स यौनिक स्वास्थ्य एवं कल्याण और मानवाधिकार के मुद्दों पर आधारित सामुदायिक संगठनों का विकास

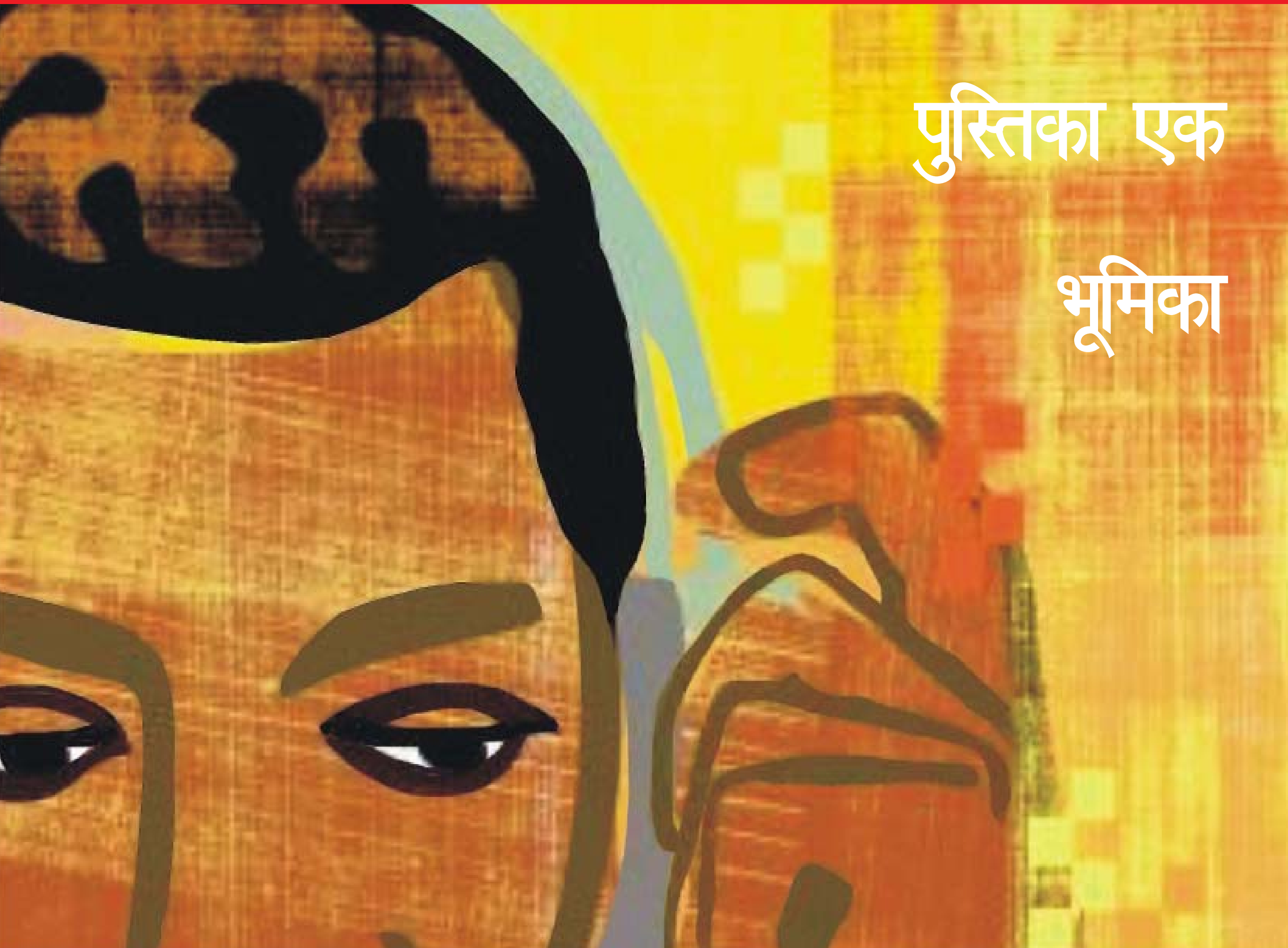

पुस्तिका एक

भूमिका

सर्मपण

प्रस्तुत सीरीज समर्पित है उन कोथियों और उनके जोड़ीदारों के नाम जो तन्हाई में, तिमारदारी के अभाव में, एड्स से जूझते हुये मौत के मुँह में चले गये।

शुक्रिया

हम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सामाजिक अध्ययन एवं अपेक्षाओं के आंकलन में हिस्सा लिया; यौनिक स्वास्थ्य प्रॉजेक्ट्स, साक्षात्कारों, कार्यशालाओं तथा बैठकों में पूरे धैर्य, ईमानदारी, खुलेपन एवं दोस्ताना माहौल में शिरकत की; और, उन लोगों का जिन्होंने पार्कों, चायखानों, नुक्कड़ों, रेस्तरां तथा होटल की लॉबीज़ में पूरे भरोसे और इतमीनान से अपनी आप-बीती कही। हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने व्यैक्तिक या संस्थागत रूप से यह चुनौती स्वीकार की और, पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों, जिनके लिए प्रस्तुत मैनुअल तैयार किया गया, को संम्बोधित करते हुये उपयुक्त सेवाओं का सम्पादन किया। उनके सहयोग के बगैर इस संसाधन का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता था।

UNAIDS ने इस संसाधन को बेहतर बनाने, इसे 'यूज़र फ्रेंडली' बनाने में हमें जो प्रोत्साहन एवं सहयोग दिया, उसके लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।

प्रकाशन

नाज़ फाउन्डेशन इन्ट्रनेशनल् 2005 द्वारा प्रकाशित

© 2005 प्रस्तुत पुस्तिका और, सीरीज़ की अन्य पुस्तिकायें, www.nfi.net से हासिल की जा सकती हैं। सीरीज के अन्य भाषाई संस्करण शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से गुजरते रहिये।

नाज़ फाउन्डेशन इन्टरनेशनल्

मुख्य ऑफिस
पेलिग्सविक हाउस
241 किंग स्ट्रीट
लन्दन डब्ल्यू 69 एल०पी०, यू०के०
टेलः +44 (0) 2085630191
फैक्सः +44(0) 2087419841
ई-मेलः london@nfi.net

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय
9, गुलजार कॉलोनी, न्यू बेरी लेन
लखनऊ 216001 भारत
टेलः +91 (0) 522 2205781/2
फैक्सः +91(0) 522 2205783
ई-मेलः lucknow@nfi.net

विषय वस्तु

पृष्ठ

1 प्रस्तुत सीरीज की एक भूमिका

3 नाज़ फाउन्डेशन इन्ट्रनेशनल्ः एक परिचय

5 नाज़ फाउन्डेशन इन्ट्रनेशनल् की सेवायें

7 लघु-पुस्तिकाओं में प्रयुक्त शब्दावली

10 दक्षिण एशिया में कामुकता एवं लैंगिक विन्यास

17 नाम में क्या रखा है-उचित शब्दावली का प्रयोजन

19 NFIः एक नीति-विषयक वक्तव्य

21 MSM यौनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपः NFI का प्रक्रिया प्रतिमान मॉडल

24 परिवर्णी शब्दावली

25 आभार/स्रोत

पुस्तिका एक सीरीजः एक भूमिका

यह लघु पुस्तिकाओं की सीरीज़ की पहली कड़ी है। इस पुस्तिका में पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों (MSM) को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर केन्द्रित, सामुदायिक संगठनों के विकास के लिए आवश्यक मूलभूत वैचारिक ढाँचे तथा कार्य-पद्धति का निरूपण किया गया है। MSM के मुद्दों पर दक्षिण एशिया में नाज़ फाउन्डेशन इन्टरनैशनल् (NFI) की सघन सामुदायिक गतिविधियों की परिणति लघु-पुस्तिकाओं की प्रस्तुत सीरीज के रूप में होती है। इस सीरीज में उल्लेखित मॉडल का 1996 से MSM की समस्याओं के संदर्भ में प्रयोजन किया जा रहा है। उक्त मॉडल के तहत अब तक कुल मिलाकर 30 प्रॉजेक्ट्स विकसित किये जा चुके हैं, और यह नया प्रारूप, हम उम्मीद कर सकते हैं, अनेक नये प्रॉजेक्ट्स को साकार करते हुये, पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों के लिये उपयुक्त यौनिक स्वास्थ्य, एच०आई०वी०/एड्स निवारण, देख-रेख तथा कल्याणकारी सेवायें सुनिश्चित कराने में सहयोगी होगा।

प्रस्तुत सीरीज़

पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों की जरूरतों के मद्देनज़र, यह सीरीज़ समुदाय आधारित पुरूषों के यौनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास में एक गाइड (दिश-निर्देशिका) तथा टूल-किट के रूप में निश्चित रूप से सहायक होगी।

प्रस्तुत सीरीज़ विशेष रूप से निम्न आय वर्ग से संबद्ध MSM के उस नेटवर्क पर फ़ोकस करते हुये डिज़ाइन की गयी है, जिसकी नीरीकृत पुरूष अर्थात 'कोथी' के रूप में अपनी अभिन्न पहचान हैं। समकक्ष शिक्षा और स्वयं-सहायता के सिद्धान्त को आधार मानकर, प्रशिक्षित MSM के सहयोग से कौशल निर्माण कार्यक्रम के जरिये, दूसरे MSM समूहों को अपनी सेवाओं के संचालन हेतु सशक्त करना इस सीरीज़ का मकसद है।

एक बार प्रशिक्षित मानव संसाधन (MSM) तथा उपयुक्त सेवायें विकसित होने के पश्चात, इन व्यक्तियों का संम्पर्क न केवल अपने 'समकक्ष' (जोड़ीदार) समूह से बना रहता है, बल्कि व्यापक स्तर पर, उनकी भूमिका परिभाषित होने लगती है। अपने पार्टनर्स तक पहुँचना और, पुरूषों के व्यापक यौनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया में MSM आचरण की गतिशीलता को समझना, उनकी वरीयता बन जाती है।

प्रस्तुत सीरीज में 6 पुस्तिकायें शामिल हैंः

पुस्तिका एक : भूमिका
पुस्तिका दो : परिदृश्य का अवस्थापन
पुस्तिका तीन : MSM के सामुदायिक संगठन (CBO) का विकास
पुस्तिका चार : MSM यौनिक स्वास्थ्य प्रॉजेक्ट्स का क्रियान्वयन
पुस्तिका पाँच : प्रबन्धन के साधन
पुस्तिका छः : अन्य संसाधन

NFI इस विशेष समूह के लिये कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है। इन कार्यशालाओं का अपना निश्चित एजेंडा, अपना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम होता है। बुनियादी मान्यता यह है कि अधिकतर आबादी एच०आई०वी०/एड्स और समुदाय आधारित कार्यपद्धति, या उस परिदृश्य से ही बेनियाज होती हैं जहाँ यौनिक स्वास्थ्य कल्याण का विचार अमल में लाया जाता है। बहरहाल, कार्यशालाओं के संदर्भ में निरूपित मुद्दे पत्थर की लकीर नहीं होते, उनमें हर समय अनुकूलन की गुंजाइश बनी रहती है।

MSM के यौनिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में अधिकतर NFI के विशेषज्ञ-प्रशिक्षकों की भूमिका होती है। इसके बावजूद यह कहना जरूरी है कि इस संसाधन की उपयोगिता की नज़र से, वैचारिक नज़रिये, भाषा और MSM आचरण, पहचान, कामुकता तथा पुरूषत्व के ढाँचे को गहराई से समझना ज़रूरी है।

नाज़ फाउन्डेशन इन्ट्रनेशनल् (NFI)ः एक परिचय

नाज़ फाउन्डेशन इन्ट्रनेशनल (NFI) एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था के रूप में पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों (MSM) और उनके जोड़ीदारों के यौनिक स्वास्थ्य, कल्याण और मानवाधिकार सम्बन्धी मुद्दे पर काम कर रही है। NFI की कार्य-पद्धति में यौनिक कल्याण और मानवाधिकारों की पैरोकारी, नीति निर्धारण तथा MSM नेटवर्क्स, समूहों तथा विकासशील देशों में कार्यरत संस्थाओं का तकनीकी, वित्तीय एवं संस्थागत सहयोग शामिल है। विकासशील देशों में काम करने का मक़सद यह है कि कामुकता एवं यौनिक आचरण तथा इससे उपजे स्वास्थ्य, कल्याण व मानवाधिकार के मुद्दे एच०आई०वी०/एड्स और स्वास्थ्य सेवाओं के परिदृश्य में समुचित एवं विनियोजित ढंग से सम्बोधित किया जा सके।

NFI यह सुनिश्चित करने की ज़रूर कोशिश करेगी कि लाभार्थियों के नेतृत्व में समुदाय आधारित एच०आई०वी०/एड्स और यौनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर केन्द्रित स्थानीय स्वयं-सहायता यौनिक नेटवर्क्स, समूहों और संस्थाओं के विकास एवं सशक्तीकरण के नज़रिये से तकनीकी सहयोग, दक्षता वृद्धि तथा उनके मुद्दों की पैरोकारी की प्रक्रिया सतत् रूप से चलती रहे।

धारणा

NFI का स्थानीय लोगों की स्वाभाविक क्षमताओं में विश्वास है। यह विश्वास है कि स्थानीय लोग खुद अपनी पहल से उपयुक्त यौनिक स्वास्थ्य सेवाओं-ऐसी सेवायें जहाँ लाभार्थी खुद स्वास्थ्य दाता हों-का विकास कर सकते हैं। NFI निश्चित रूप से इन प्रयासों के समर्थन के लिए संकल्पबद्ध है।

विज़ेन

वह दुनियाँ जहाँ लोग सम्मान से जी सकें, उन्हें सामाजिक न्याय और खुशहाली मयस्सर हो, हमारा उस दुनियाँ में यक़ीन है।

मूलतः पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले, इन हाशियाई पुरूषों पर केन्द्रित NFI का मिशन है कि समाज से खारिज, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने वाले पुरूषों (MSM) का सशक्तिकरण; तकनीकी, संस्थात्मक एवं वित्तीय सहयोग के माध्यम से उन्हें सामाजिक न्याय, समता, स्वास्थ्य और खुशहाल जिन्दगी गुज़ारने के लायक बनाना-यह हमारा सपना है।

उद्देश्य

- निम्न आय वर्ग का MSM समूहों तथा नेटवर्कों को तकनीकी, वित्तीय एवं संस्थात्मक सहयोग के जरिये विकास; स्वयं सहायता यौनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वयन

- MSM की खुशहाली और बेहतर जिन्दगी के लिये अन्य संस्थाओं को साथ लेकर साझा कार्यक्रमों का संचालन

- निर्बल वर्ग के MSM समूहों के सामाजिक न्याय और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा की वकालत की नज़र से व्यापक पैरोकारी

भूमिका

"मैं नाज़ फाउन्डेशन इन्ट्रनेशनल् के काम की सराहना करता हूँ। लंबे अरसे तक उपेक्षित यौनिक स्वास्थ्य के विषय के प्रत्यक्ष समर्थन की उनकी कोशिश सराहनीय है।

यह ज़रूरी है कि यौनिक विविधता के विषय सदा वर्जित ही न बने रहें। शिक्षण बहस के ज़रिये इन विषयों पर सोच-विचार होना चाहिये। यही वह तरीका है जिसे अपनाकर हम प्रचलित अज्ञान और पूर्वग्रह को चुनौती दे सकते हैं"।

लार्ड ढ़ोलकिया
(हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यू० के० संसद)

- यौन प्रेषित संक्रमणों (यौन-रोगों)/एच०आई०वी०/एड्स तथा MSM की यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी ज़रूरतों से सरोकार रखने वाली संस्थाओं के साथ-साथ, अन्य संगठनों के दरमियान परस्पर सहयोग, विवेक और समर्थन का पोषण
- हाशियाई एवं सामाजिक अलगाव से जूझते MSM की समस्याओं को समझने, उन्हें उजागर करने तथा उनका हल ढूँढ़ने के उद्देश्य से शोध कार्यक्रमों का संचालन; पुरुषत्व व कामुकता के संदर्भ में अर्जित ज्ञान का MSM केन्द्रित यौनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सार्थक एवं टिकाऊ रणनीति के सम्पादन में प्रयोजन
- उपरोक्त गतिविधियों/सारोकारों को साकार करने के लिए उपयुक्त फंडिंग, संसाधनों एवं तकनीकी सहयोग का संग्रहण

NFI की सेवायें

क्षेत्रीय स्वयं-सहायता कार्यक्रम

स्वयं-सहायता एड्स निवारण प्रॉजेक्ट्स के विकास हेतु स्थानीय नेटवर्कों का प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से सशक्तिकरण

क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्र

दक्षिण एशिया में NFI का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर भारत के लखनऊ शहर में स्थित है। यह केन्द्र अनेक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ जेंडर, पुरूषत्व, कामुकता/यौनिकता, एच०आई०वी०/एड्स एवं यौनिक स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी विषयों पर सूचानायें मुहैया कराने की दिशा में कार्यरत है। इन विषयों पर केन्द्रित, NFI लखनऊ का एक समृद्ध पुस्तकालय भी है।

'पार्टनरशिप' कार्यक्रम

अपनी पार्टनर एजेंसियों के साथ काम करते हुये, NFI मूलतः नेटवर्किंग, सूचनाओं और कौशल के आदान-प्रदान के साथ, क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका में सक्रिय है।

आचरण परिवर्तन : संप्रेषण सामग्री का विकास

आपने 'स्रोत सामग्री विकास कार्यक्रम' के तहत, NFI मुख्य रूप से 'आचरण बदलाव संप्रेषण (BCC) सामग्री, 'एच०आई०वी०/एड्स निवारण तथा स्वास्थ्य पोषक स्रोत सामग्री', 'शोध-पत्र', हैंडबुक्स और ट्रेनिंग मैनुअल्स तैयार किये जाते हैं।

पैरोकारी (एडवोकेसी)

MSM पुरूषों को सामाजिक न्याय व समता का अधिकार दिलाने और उनके खुशहाल जीवन की पैरोकारी के उद्देश्य से NFI अनेक अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय; और स्थानीय संस्थाओं, एजेंसियों और संगठनों के साथ काम कर रही है।

शोध एवं दस्तावेज़ीकरण

MSM पुरूषों के यौनिक स्वास्थ्य, पुरूषत्व तथा कामुकताओं के मुद्दों पर शोध एवं अध्ययन दस्तावेजों का विकास, संयोजन, सहयोग और पैरोकारी नाज़ फाउन्डेशन के मुख्य स्तम्भ हैं।

लघु पुस्तिकाओं में प्रयुक्त शब्दावली

द्विअंगी

यह शब्द नर एवं मादा का संकेत देता हैं।

जेंडर (लिंग)

पुरूष और स्त्री की शारीरिक रचना में, उनकी प्रजनक भूमिकाओं के आधार पर, कुछ बुनियादी जैविक भिन्तायें होती हैं। लेकिन इन भिन्ताओं से परे, अनेक समाज पुरूषों की भूमिकायें, उनके अधिकार एवं कतर्व्य, अलग-अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। जेंडर शब्द मूलतः महिला और पुरूष के बीच सामाजिक रूप से परिभाषित इस विभेद को रेखांकित करता है।

लैंगिक विभेद के अनुभव उन तमाम साझा विश्वास और मानदंड की बुनियाद पर परवान चढ़ते हैं जिन्हें समाज और संस्कृति पुरूषों और महिलाओं की खुबियों और क्षमताओं के रूप में स्थापित करती है। यही मान्यतायें और विश्वास पुरूषों और महिलाओं के बीच असमानता को जन्म देते हैं। अधिकतर समाज में पुरूषों को, महिलाओं की अपेक्षा, कहीं अधिक ताकत-राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकत मयस्सर होती है। यह लैंगिक (जेंडर) असमानता महिलाओं और पुरूषों-दोनों के यौनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

लैंगिकृत (जेंडरीकृत) ढंाचा

जेंडर (लिंग) शब्द का प्रयोग सामान्यतः संज्ञा के रूप में होता है। लेकिन अक्सर जेंडर के रूप में इसका फ़ोकस महिलाओं के ऊपर होता है। और इस सूरत में, पुरूष जेंडर के रूप में अनुपस्थित रहता है। इसी स्थिति को प्रस्तुत दस्तावेज़ में 'जेंडरीकृत' (लैंगीकृत) की शब्द-रचना के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बाँग्लादेश में, उदाहरणतः, जेंडर की सामाजिक सीमाओं पर सख़्त नाकाबंदी रहती है। और इसीलिये यहाँ पुरूष-पुरूष यौनिक आचरण कामुकता या लैंगिकता की ओर अभिमुख होने के बजाय, लैंगिक (जेंडर) पहचान के अनुरूप होता है। 'जेंडरीकृत ढाँचा' यह शब्दावली इसी स्थिति का समावेश करती है। *कोथी* के रूप में अपनी विशेष पहचान रखने वाले जो पुरूष (जो पुरूषों के साथ सेक्स करते हैं) अपने को पुरूष नहीं 'अपुरूष' या संप्रैण पुरूष मानते, वह जेंडरीकृत ढाँचे के तहत चिन्हित किये जाते हैं।

अनुक्रमिक एवं प्रतिरोधी ढाँचा

अक्सर यह जेंडर और उनकी विशेषतायें अनुक्रमिक एवं परस्पर विरोधी रूप में प्रयुक्त होती हैं। उदाहरणतः, नारीत्व के समक्ष पुरूषत्व की प्रवरता!

समसामाजिक तथा समसामाजिक भावुकता की संस्कृति

दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में जेंडर संबन्धों पर सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करने की नज़र से सामाजिक स्थलों के बँटवारे की व्यवस्था काफी प्रबल होती है। सामाजिक रिश्ते मूलतः एक ही जेंडर के दरमियान ही बनते हैं, और इस प्रकार, यह एक 'समसामाजिक' संस्कृति के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरी ओर, 'समसामाजिक भावुकता' वह प्रवृत्ति है जो पुरूष-पुरूष या महिला-महिला सम्बन्धों के सामाजिक आचरण के रूप में मान्य समझी जाती हैं। मिसाल के तौर पर, बाँग्ला देश में हाथों में हाथ डाले या कन्धे पर हाथ रखे दो पुरूषों को टहलते हुये देखना आम बात है। अक्सर यह पुरूष-दोस्त एक ही बिस्तर पर, एक साथ लिपटकर सोते भी हैं।

हिजड़े

हिजड़ा अर्थात तीसरा जेंडरः 'मर्द न औरत' बल्कि तीसरे जेंडर के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले यह पुरूष अर्थात हिजड़े, सरे-आम (व अपनी निज़ी जिन्दगी में) महिलाओं का रूप धारण किये, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक जीवन में अपना ख़ास मुक़ाम रखते हैं। उनकी अपनी अलग बोली होती है। इसे 'उल्टी' कहते हैं। बधियाकरण हिजड़ों की पहचान से जुड़ा एक विधान है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी हिजड़े बधिया हों! सामान्यतः वे पुरूषों के साथ सेक्स करते हैं।

कोथी (नेपाल में मेतिस और पाकिस्तान में ज़नाना श्ब्दों का इस्तेमाल)

अपनी अभिन्न पहचान का यह लेबल उन पुरूषों के लिये इस्तेमाल होता है जो अपने आचरण में स्त्रीत्व पैदा करके, अपने 'नर' पुरूष लैंगिक पार्टनर को रिझाने की कोशिश करते हैं और/या फिर, विशेष परिस्थितियों और सन्दर्भो में, उनका यह आचरण उनके जेंडर-विन्यास का हिस्सा बन जाता है। मुख और गुदा मैथुन-दोनों ही उन्हें पसन्द हैं। उन्हें पसन्द है भेदा जाना। सामाजिक स्थलों पर उनका आचरण अक्सर काफी 'ड्रामाई' लगता है। अपनी पहचान आप ही होने वाले यह पुरूष, यह *कोथी*, जो यौनिक क्रिया में अन्दर लेना ही पसन्द करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके आचरण से नारीत्व झलकता हो। MSM आचरण का यह सबसे बुनियादी और सदृश्य ढाँचा होता है। एक *कोथी* (उनके कहे के मुताबिक) दूसरे कोथी से सेक्स नहीं करते, अक्सर उनकी महिलाओं से शादियाँ भी होती हैं।

पुरूषत्व

पुरूषत्व की व्याख्या प्रभुत्व एवं आधिपत्यवादी ढाँचे के रूप में की जाती है। यह व्याख्या इन्सान (पुरूषों) के व्यैक्तिक, लैंगिक/कामुक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आचरण का निर्धारण करती है। लेकिन इसके बावजूद, आम धारणा यह है कि पुरूषत्व के मानदंड, संस्कृतियों, आयु समूहों, यौनिक अभिमुखता, लैंगिक वरीयता, वास्तविक आचरण, जेंडर पहचान, आर्थिक वर्ग तथा धर्म के सापेक्ष, व्यापक विविधता प्रदर्शित करते हैं।

पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूष

दरअसल 'पुरूष' शब्दावली के प्रयोग में विभिन्न भौतिक आयु-वर्गों का समावेश होता है। और दक्षिण एशिया में पुरूषत्व तथा जेंडर की अवधारणा 'पुरूष' को उस समय तक 'पुरूष' नहीं मानती जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। और दूसरी ओर, परा-लैंगिकृत 'पुरूषों' को भी 'पुरूष' के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। वह 'पुरूष' जो हमारे अध्ययन के पात्र हैं, पारम्परिक रूप से बचपन कही जाने वाली अवस्था से ही पुरूष-पुरूष लैंगिक आचरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पंथी

इस नाम का लेबल *कोथी* अक्सर अपने नर-पुरूषों पर लगाते हैं। यौनिक भूमिकाओं के संदर्भ में पुरूष-पुरूष यौनिक आचरण का स्वरूप सामान्यतः काफ़ी लैंगिकृत दिखाई पड़ता है। बॉंग्लादेश में, जहाँ *कोथियों* को पुरूष के तौर पर परिभाषित नहीं किया जाता और, इस प्रकार, यौनिक क्रिया में दाखिल करने वाले पार्टनर को अपने पुरूष होने का एहसास बना रहता है, पुरूष-पुरूष लैंगिक आचरण का यही नमूना देखने को मिलता है। 'पंथी', मूलतः वह पुरूष हैं, जो दाखिल करता है इससे बहस नहीं कि दाखिल करवाने वाला पार्टनर पुरूष है या महिला। कोई भी पुरूष पंथी हो सकता है व्यवसायी से लेकर रिक्शे वाले तक, कोई भी। पंथी भी महिलाओं से शादी कर सकते हैं।

पारिक

कोथी अपने 'पतियो' को 'पारिक' कहते हैं। जबकि यह पारिक सम्भव है इनकी पत्नियाँ भी हों, सम्भव है कि वे दूसरी महिलाओं और पुरूषों के साथ सेक्स करते हों, लेकिन कोथियाँ उन्हें पति का ही दर्जा देते हैं।

सेक्स

'सेक्स' शब्द के प्रयोजन का कैनवस काफ़ी व्यापक है। इसके मायने इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इस शब्द को कैसे, किस संदर्भ और सामाजिक-सांस्कृतिक ढाँचे में इस्तेमाल करते हैं। इन लघु-पुस्तिकाओं में यौनिक आचरण को जो मायने दिये गये हैं, उसका सन्दर्भ-बिन्दु वह अमल, वह क्रिया है, जिससे कामुकता की अनुभूति होती है।

लैंगिकता/कामुकता

एक ख़ास व्यक्तिगत और सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आप और, दूसरे लोग समग्र रूप से अपनी कामुक इच्छायें, अपनी जेंडर अभिन्नता, अपने आचरण और अपने कामुक आत्मन् की जिस तरह अनुभूति करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, वही कामुकता/लैंगिकता की विषय वस्तु है। यह एक व्यापक विषय है। इसकी सांस्कृतिक विविधता विभिन्न आय-वर्ग, यौनिक अनुकूलन, लैंगिक वरीयता, वास्तविक आचरण, जेंडर पहचान, आर्थिक वर्ग एवं धर्म के सापेक्ष आम तौर से प्रमाणित की जाती है।

सामाजिक विन्यास की अवधारणा

इस अध्ययन को रेखांकित करने वाली सामाजिक विन्यास की अवधारणा इस सिद्धान्त पर आधारित है कि पुरूषत्व, कामुकता और यौनिक आचरण (यौनिक इच्छायें न भी सही) जैसे प्रवर्ग समाज और कामुकता की रचनात्मक प्रक्रिया में सामाजिक स्तर पर एक निश्चित विन्यास के रूप में प्रकट होते हैं।

दक्षिण एशिया में कामुकता और लैंगिक स्वास्थ्य

एक वैचारिक विन्यास

दक्षिण एशिया में यौन-प्रेषित संक्रमण यौन रोगों और एच०आई०वी०/एड्स से सम्बन्धित प्रभावी निवारण कार्यक्रमों के विचार पर केन्द्रित बहस, इस क्षेत्र में एच०आई०वी० के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर, काफी महत्वपूर्ण हो गयी है लेकिन इन कार्यक्रमों की सार्थकता के लिए यह आवश्यक है कि उनके विकास-क्रम की प्रक्रिया में दक्षिण एशिया के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य की ख़ासियत को ध्यान में रखा जाय, वरना स्थितियाँ बद-से-बदतर हो सकती हैं।

तर्कसंगत रणनीतियों एवं कार्यक्रमों पर विचार की शुरूआत करने से पहले हमें दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में लैंगिक विन्यास, कामुकता, लैंगिक आचरण और लैंगिक स्वास्थ्य की गतिशीलता का अध्ययन करना चाहिये। और यदि हम इस मुद्दे पर एक कारगर बहस नहीं छेड़ सकते, यदि हम कामुकता के जटिल व्यक्तिगत और सामाजिक पहलुओं तथा कामुक संस्कृतियों (जहाँ कामुक-आचरण को मूर्त-रूप और अभिव्यक्ति मिलती है) को समझने में कोताही बरतते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी प्रभावी निवारण पद्धति नहीं विकसित की जा सकती।

इसमें शक नहीं कि भारत में यौन रोग, हेपेटाइटिस-बी और एच०आई०वी०/एड्स की स्थिति काफ़ी ख़तरनाक है। दूसरी ओर, पड़ोसी देशों में भी संक्रमण की दरें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन दक्षिण एशियाई देशों की सरकारें अपनी वर्तमान स्वास्थ्य वितरण व्यवस्थाओं से इतना बोझिल है कि एड्स से ग्रसित लोगों की दन्हें सुध नहीं रहती है और उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों की बलि चढ़ जाती है। निःसन्देह, यह सरकारें फंड्स की कमी और, अपनी अन्य प्राथमिकताओं के कारणवश प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक-किसी भी स्तर पर लैंगिक स्वास्थ्य के प्रोत्साहन में समर्थ नहीं हो सकती; न सही, लेकिन वे तो इन समस्याओं को आर्थिक दबाव, डर, लिंगवाद, सेक्स फोबिया, होमोफोबिया (समभीति) और अज्ञानता के चलते देखती हैं और, न ही उन्हें स्वीकार करती हैं।

दक्षिण एशिया में भेदक-मैथुन इन संक्रमणों के प्रेषण का एकमात्र ज़रिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक-70% संक्रमण केवल विषमलैंगिक मैथुन से प्रेषित होता है। लेकिन एच०आई०वी० के संदर्भ में, सम और विषमलैंगिक प्रवर्ग के दायरे में स्थापित परिभाषिक शब्दावली को दक्षिण एशियाई देशों में (जहाँ पुरूष-पुरूष यौनिक आचरण सामान्य रूप से सक्रिय रहते हैं और, अक्सर इनकी चर्चा भी नहीं होती) प्रचलित यौनिक गतिशीलता और आचरण के परिप्रेक्ष्य में चुनौती अवश्य दी जा सकती है।

दक्षिण एशियाई संस्कृतियों के परिदृश्य में सम और विषमलैंगिकता के ढाँचे में वस्तुगत यथार्थ को रेखांकित नहीं किया जा सकता। दरअसल, इस शब्दावली का व्यासीय रूप से प्रतिकूल ढाँचा एक ऐसी बनावटी समझदारी स्थापित करता है, जिसका जीवंत यथार्थ से कोई ख़ास रिश्ता, कोई प्रासंगिकता नहीं होती। हकीकत तो यह है कि सम या विषमलैंगिक प्रेषण जैसा कोई प्रवर्ग यथार्थ सूचक नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि अमुक सेक्स रूट (अर्थात योनि या गुदा भेदन) के ज़रिये यौनिक प्रेषण संभावित है। दूसरे शब्दों में, इंसान के यौनिक आचरणों की एक लम्बी श्रृंखला होती है। लेकिन, इनमें से किसी एक (आचरण) को भी "समलैंगिक" या "विषमलैंगिक" जैसे पहचान सूचक ढाँचे में फ़िट नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक कारण हैं जो इन्सान के वास्तविक यौनिक आचरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन उन्हें "विषमलैंगिता" के ढाँचे में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में रचे-बसे इन कारणों में शामिल हैंः पुरूषों के यौनिक अनुभवों की तरलता, यौनिक अदृश्यता का ढाँचा, सममित्रभाव, सार्वजनिक स्थलों पर पुरूषों का स्वामित्व, मान-मर्यादा और 'इज़्ज़त' का सांस्कृतिक विन्यास, विवाह एवं प्रजनन की अनिवार्यता, लैंगिक (जेंडर) विन्यास, स्त्री और पुरूष की भूमिका पर आधारित प्रौढ़ता का ढाँचा इत्यादि।

एच०आई०वी०से प्रभावित अनेक महिलाओं (जिनके पुरूष दूसरे पुरूषों के साथ भी सेक्स करते हैं) की स्थिति को इस परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, महिलाओं के प्रजनक और यौनिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए विस्तृत एवं व्यक्तिगत संदर्भों में पुरूषों के यौनिक आचरण का निर्धारण ज़रूरी है।

अब, इन मुद्‌दों को सम्बोधित करने के लिए तर्कसंगत रणनीतियाँ विकसित करने से पहले यौनिक-गतिशीलता, लैंगिक (जेंडर) विन्यास तथा यौनिक आचरण के मनो-सामाजिक ढाँचे और उसकी ज़मीन को समझना ज़रूरी है। और ज़रूरी यह भी है कि सारी समझदारी और विकास एक तर्कसंगत सांस्कृतिक ढाँचे में ही गतिमान हो। लेकिन दुर्भाग्यवश, दक्षिण एशिया में एच०आई०वी० और यौन-रोग निवारण और प्रसार कार्यक्रमों में अक्सर कामुकता, पहचान और यौनिक आचरण जैसे प्रवर्गों को पाश्चात्य अवबोधन और विन्यास के दायरे में ही परिभाषित किया जाता है।

कामुकता एवं यौनिक आचरण पर केन्द्रित पूरी बहस और, उससे उपजी निवारण रणनीति मूलतः पाश्चात्य विन्यास में निहित व्यक्तिकता, व्यक्तिक अभिन्नता (पहचान) तथा कामुकता से उदीयमान होती है। यह लैंगिक (जेंडर) अभिन्नता, यह यौनिक भूमिकायें और, इस प्रकार, व्यक्तिक पहचान, मनोसामाजिक और एतिहासिक गतिशीलता के परिप्रेक्ष्य में परवान चढ़ती है। हम कौन हैं? हम क्या हैं? हम क्या करते हैं? इस प्रकार के अवबोधनों का विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश में अपना अभिन्न यथार्थ होता है।

एच०आई०वी० संक्रमण के तेज़ी से बढ़ते प्रकोप और इसके उपचार के अभाव में सरकारी स्तर पर जो विकल्प, जो रणनीति अति आवश्यक स्वरूप हासिल करती है, वह है निवारण की रणनीति। इसको दो तरीक़े से परिभाषित किया जा सकता हैः

1- "यह न कीजिये"!
2- "कीजिये तो हिफ़ाजत से कीजिये"!

यौनिक आचरण के संदर्भ में उपरोक्त पहली ऐपरोच या नज़रिये को सामान्यतः अधिक सर्मथन मिलता है। इसका कारण है नैतिकता का बेहतर समावेश! विकासशील देशों में इस ऐपरोच को अमल में लाते वक्त सरकारी एवं ग़ैर-सरकारी एजेंसियाँ पाश्चात्य प्रभावों से दूषित अपनी एतिहासिक गतिशीलता में एलानिया ढंग से आश्रय तलाश करती हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे यौनिक आचरण में जोखिम भरी विकृतियाँ पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की देन हैं। "यह न कीजिये!" की रणनीति का दूसरा पहलू धर्मग्रन्थों के उद्धरण की रोशनी में अपने को तर्कसंगत स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन वस्तुतः इनमें से कोई भी ऐपरोच कारगर नहीं साबित होती। इसकी पहली वजह तो यह है कि इन देशों में यौनिक इतिहास को विकृत मानसिकता से नकारने की परम्परा गतिमान रही है, और इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नकारात्मक प्रवृत्ति, जिसकी परिणति यौनिक इतिहास के दमन के रूप में होती है, मूलतः पाश्चात्य संस्कृति में विद्यमान "पाप" के प्रवर्ग से जन्म लेती है। इनकार या आत्मदमन की यह प्रवृत्ति किसी भी भारतीय अधिकारी को को यह कहने का मौका दे सकती है कि समाज में समलैंगिक आचरण देखने को नहीं मिलता, या फिर, यहाँ विवाहेतर या विवाहपूर्वी यौनिक सम्बन्ध सामान्यतः स्थापित नहीं होते और, यदि होते भी हैं, तो नहीं के बराबर। लेकिन वास्तविकता इससे बिलकुल भिन्न है। जहाँ तक निवारण प्रक्रिया में धर्मग्रन्थों के उद्धरण के प्रयोजन का प्रश्न है, यह सारी प्रक्रियायें न केवल वास्तविक मानवीय आचरण पर पर्दा डालती हैं, बल्कि धर्मों के अपने इतिहास और विभिन्न संस्कृतियों से उनके सामाजिक संश्लेषण की प्रक्रिया का दमन करती हैं। हक़ीक़त यह है कि कोई भी धार्मिक आस्था (हिन्दू, मुसलिम, सिख, ईसाई, बौद्ध इत्यादि) अपने मूल सिद्धातों की ताक़त पर आस्थावान व्यक्ति के आचरण पर अंकुश नहीं लगा सकती। इसके अतिरिक्त, सवाल तो उन लोगों का भी है जिनकी किसी धर्म में आस्था नहीं! समुचित रूप से देखा जाय तो दक्षिण एशियाई संस्कृतियाँ परस्पर विरोधी व्यक्तिक और सामाजिक दायरे में लज्जा और सम्मान की विशिष्ट अवधारणाओं पर टिकी हैं। और अक्सर इनकी परिणति ऐसे ख़तरनाक यौनिक आचरण के रूप में होती है, जो मनो-सामाजिक पटल पर कभी सदृश नहीं होते। आप धर्म, संस्कृति जैसे विषय पर जो भी उपदेश दें, पाश्चात्य-विरोधी जो भी बहस छेड़ें, ये उस वक्त तक कारगर नहीं हो सकती जब तक कि यौनिक आचरण के विन्यासों

को सम्बोधित करना शुरू नहीं करते। दूसरे शब्दों में, आखिर लोग वह काम क्यों करते हैं जो वह करते हैं? कब, कैसे, कहाँ और किसके साथ करते हैं?

यौनिक आचरण की उत्पत्ति शून्य में नहीं होती। उनका दिक्काल के सापेक्ष अपना इतिहास होता है, अपना निश्चित परिदृश्य होता है, और उनकी उत्पत्ति सामाजिक और गतिशीलता पर आधारित विन्यास में जन्मी इच्छाओं के ढाँचे से होती है।

मिसाल के तौर पर, उस संस्कृति में जहाँ लड़कियों और महिलाओं के आचरण-विशेषकर यौनिक आचरण पर नियन्त्रण रखा जाता है, जहाँ महिलाओं की यौनिक निर्मलता की क़द्र की जाती है, जहाँ पारिवारिक व सामुदायिक दायित्व एवं मर्यादा का मूल्य समझा जाता है, जहाँ विवाह और प्रजनन अनिवार्यता समझी जाती है, जहाँ यह मानदंड प्रौढ़ता को परिभाषित करते हैं, और वह संस्कृति जो मूलतः समसामाजिक हो, जहाँ लोगों की आमदनी का स्तर भी नीचा हो, जहाँ महिलाओं तक यौनिक पहुँच दुर्लभ, सीमित और महंगी हो, जहाँ व्यक्तिक पहचान यौनिक आचरण को न साकार करती हो, वह संस्कृति जहाँ भेदक-मैथुन ही सेक्स ही हो और शेष मौज़-मस्ती में शुमार किया जाता हो, ऐसे में, जाहिर है, सबसे अधिक सुलभ यौनिक पात्र कौन हो सकता है?

जेंडर विन्यास, कामुकता और लैंगिक आचरण के इतिहास को पाश्चात्य और दक्षिण एशियाई मूलक बहसों में जगह न मिलने से इन देशों में लैंगिक (जेंडर) पहचान और कामुकता की अवधारणा बुरी तरह प्रभावित होती है। भारत में एक भी ऐसा शोध संस्थान नहीं है, जिसने जेंडर और कामुकता सम्बन्धी इतिहास की अस्वीकृति पर ध्यान दिया होता। इसके विपरीत, यहाँ तो इस इतिहास की अदृश्यता क़ायम रखने, उसे स्थायित्व देने की हमेशा कोशिश की गयी। और कामुकता का जो विन्यास पाश्चात्य बहसों से उभरकर हमारे समक्ष प्रकट हुआ, वह अइतिहासीय है। जहाँ तक कामुकता का सवाल है, इस सम्बन्ध में केवल भेदक विषमलैंगिकता की अवधारणा एकमात्र प्रासंगिक अवधारणा समझी जाती है। और विसंगत रूप से, कामुकता या लैंगिकता के अन्य स्वरूप को विकृत या पाश्चात्य क़रार देकर ख़ारिज़ कर दिया जाता है।

ज़ाहिर है, इस प्रकार कामुकता के समृद्ध इतिहास को विषम और समलैंगिकता, जो कि स्वयं कामुकता (लैंगिकता) के एक निश्चित पाश्चात्य एतिहासिक ढाँचे और अवबोधन का परिणाम है, के परस्पर प्रतिकारक प्रवर्गों में बाँटकर निराकृत कर दिया गया।

सिर्फ इतना ही नहीं, पित्रात्मक सामाजिक व्यवस्था, अनिवार्य विवाह, नर-बच्चे के प्रजनन की ज़रूरत और, वह ढाँचा जिसके ज़रिये यौनिक आचरण और कामुकता सदियों से अपनी अभिव्यक्ति अंजाम देती रही है, इन सभी ने समग्र रूप से वैकल्पिक कामुकताओं और उनके इतिहासों के विध्वंस, उनको हाशिये पर डालने, यहाँ तक कि नकारने की एक प्रवृत्ति विकसित कर ली है। इतिहास क्रम में केवल एक ऐसी प्रभुत्ववादी कामुकता को प्रोत्साहन मिला है जिसने सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के रूप में अपनी प्रवता का दावा ठोंकते हुये, पुरूष-शक्ति को एकल सामाजिक भूमिका में स्थापित करने के लिए सशक्त किया।

हाशियाई परम्पराओं में गतिमान वैकल्पिक इतिहास, ग्रामीण स्तर पर प्रजनक विचारधाराओं के प्रभुत्व के कारण, अनेक स्तरों पर लुप्त होता जा रहा है और उसकी जगह पूर्णतः प्रजनक विषमलैंगिक वैचारिक विन्यास पर परवान चढ़ती परम्परायें अपना वर्चस्व क़ायम कर रही हैं। दूसरी तरफ, पुरातन वैकल्पिक पौराणिक गाथाओं और इतिहासों को कुछ इस तरह छलयोजित, विकृत और कुरूपित किया जा रहा है जिससे कि वे सिर्फ़ ग्रामीण पुरूष-वाचक पित्रात्मक विचारध ााराओं के अनुकूल हो जायें! और महिलायें परम्पराओं के निधान, न कि व्याख्यता, के रूप में लानत की हकदार ठहरा दी जायें। यहीं से वह ग्रामीण व्यवस्था भी जन्म लेती है जिसमें श्रम के लैंगिक (जेंडर) विभेद की बुनियाद पर लड़के को ग्रामीण पूँजी के तौर पर देखा जाता है और सांस्कृतिक एवं (जमीन समेत तमाम) आर्थिक संसाधनों पर पुरूषों का स्वामित्व सुनिश्चित होता है। यही स्वामित्व शहरी परिदृश्य में फिर से जन्म लेता है। जाहिर है, इसकी परिणति इच्छा और कामुकता के ऐसे विन्यास के रूप में होती है जो सिर्फ ग्रामीण पित्रात्मक पुरूष के नजरिए से मेल खाती है, और

फिर, विभिन्न शहरी बहसों में पारम्परिक प्रमाणिकता के रूप में स्वछन्दित की जाती है। दूसरे शब्दों में, वैकल्पिक कामुकताओं तथा मातृसत्तात्मक परम्पराओं की अस्वीकार्यता का सिलसिला अन्दर और बाहर-दोनों ओर से जारी रहता है।

सिर्फ इतना ही नहीं, वैदिक काल से अपने अभिन्न रूपों में दर्शन देते उपनिवेशवाद, एकेश्वरवाद एवं प्राच्यवाद, तथा राष्ट्रवाद, तत्ववाद एवं रूढ़िवाद के अनेक रूपों ने नृत्य, नाटक, साहित्य, कला, गायन और जीवनशैली जैसी वैकल्पिक परम्पराओं में रची-बसी स्थानीय विधाओं के विध्वंस में अपना योगदान दिया है। इनके ज़ेरे-असर, वैकल्पिक कामुकता पूरी तरह अदृश्य हो गयी, और इस तरह एक बहुलतावादी दृष्टि के बजाय, मात्र प्रजनक तथा भेदक कामुकताओं को ही सामाजिक सार्थकता मिली। कामुक अभिव्यक्ति की परम्परागत विविधता आज पतित और विकृत मानी जाती है। इसे पतित महिलाओं की शैतानी हरकतों की संज्ञा दी जाती है।

कामुकता की संस्कृतियों और इतिहास की दमनीय अस्वीकार्यता और निःशब्दता का सीधा मतलब यही है कि कामुकता का जो भी ढाँचा है, वह पाश्चात्य संस्कृति की देन है। इसमें शक नहीं कि इस ढाँचे का इस्तेमाल तुलनात्मक औज़ार के रूप में किया जा सकता है। लेकिन यह किसी भी तरह दक्षिण एशियाई मनोलैंगिक सामाजिक मैट्रिक्स की जटिलता को समझने का आधर नहीं बन सकती।

दरअसल, दक्षिण एशिया में वैश्विक-नज़रिये की अभिव्यक्ति मूलतः वैदिक ब्राह्मणवाद, इस्लाम एवं क्रिश्चैनिटी के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ-साथ, मानव शरीर और कामुकता (लैंगिकता) के परिदृश्य में, आयुर्वेद और पश्चिमी आयुर्विज्ञान के समागम से विकसित हुयी है। इस अभिव्यक्ति की रचना में महिला और पुरुष दोनों की भूमिकायें परिभाषित की गयी हैं। और इन भूमिकाओं के अतिक्रमण की सज़ा अमूमन कलंक, सामाजिक प्रताड़ना, निर्वास, शारीरिक प्रताड़ना, यहाँ तक कि, मौत भी हो सकती है।

कामुकता की विविध अभिव्यक्तियों के तिरस्कार तथा सामाजिक-राजनीतिक नियंत्रण से उपजी कामुकताओं के विन्यास की मनो-सामाजिक रचना ने एक ऐसे सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को आवेग प्रदान किया, जिसमें न केवल विवाह और प्रजनन की अनिवार्यता स्थापित हुयी, बल्कि स्वतंत्र महिलाओं की कोई मान्यता बची, न ही उनके लिए कोई सामाजिक दायरा। इस विकास क्रम में विशेषकर अविवाहित एकल महिलायें असम्मानित समझी जाने लगी और सिर्फ शादी-शुदा लोगों के अधिकार और कर्तव्य शेष रहे।

जब यौनिक आचरण कामुकता की जगह ले लेता है, उस स्थिति में महिलाओं का यौनिक आचरण, अस्वीकार्य न सही, नियंत्रित और हाशियाई अवश्य हो जाता है। और पुरूष का यौनिक आचरण अंतःलीन होकर, दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अनुकूल न होकर, महज़ स्खलन की क्रिया में समाहित हो जाता है। हम देखते हैं कि यौनिक आचरण की प्रक्रिया निर्व्यक्तीकृत हो जाती है। कामुकता का कोई विन्यास नहीं रहता। यौनिक कर्म चाहे वह पुरूष-पुरूष के बीच हों या पुरूष महिला अक्सर बर्बर रूप धारण कर लेता है। वह महिलायें जिन्हें दूसरी महिलाओं की चाहत होती है, उनके रिश्तों को परवान चढ़ने के लिये कोई सामाजिक दायरा नहीं बनता। सच पूछिये तो इन्सान की कोई ज़ाती पसन्द बचती है, न कोई निजी जिन्दगी। व्यक्तिकता का विकास ही नहीं हो पाता।

इच्छाओं चाहे वह ज़ाती हों या सामाजिक, यहाँ तक कि राजनैतिक भी-का अभिव्यक्ति के अनुरूप अपना इतिहास होता है। इस इतिहास के साथ जो भी बदसलूकी हो, लेकिन इसका वजूद हमेशा बरकरार रहता है। इच्छाओं की अपनी सामाजिक ज़मीन होती है। उसी के अनुरूप उनकी रचना होती है।

आज पूरे दक्षिण एशिया में कामुकता और उसकी भौतिक अभिव्यक्ति के संन्दर्भ में जो भी हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें यौनिक आचरण अपने बर्बर स्वरूप में नजर आता है। वह चाहे गुदा या योनि के साथ प्रचंड व्यवहार का मामला हो, या पार्टनर के जेंडर (जो कि पहचान के रूप में कभी भी परिभाषित नहीं किया जाता) को नज़रअंदाज करते हुये पुरूषों द्वारा निष्पादित अंधाधुंध यौनिक-कर्म का, यह अविवेकी आचरण मूलतः सुलभता और स्खलन के सिद्धान्त से संचालित होता है। और यौनिक स्खलन का यही अनुभव बर्बर एवं दमनकारी यौनिक अनुभूति को रेखांकित करता है।

भूमिका

इस दर्दनाक निःशब्दता, और इतिहास की वैचारिक स्तर पर अस्वीकार्यता से समग्र निर्वासन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और दूसरी ओर, इसके प्रतिरोध की मनोस्थिति ने ऐसे हालात पैदा किये, ऐसी खंडित मानसिकता और अलगाव को जन्म दिया जिसने अंधेरे, खमोशी और सात पर्दों के भीतर शर्मसार हाते हुये, एक ओर, अपनी वैकल्पिक कामुक इच्छाओं की अभिव्यक्ति तलाश की और, उसके साथ-साथ, शादी और बच्चों को जन्म देकर समाज में खप जाने की ललक भी जिंदा रखी।

दक्षिण एशिया में यौनिक स्वास्थ्य की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर, विशेषकर बलात्कार, सर्विकल कैंसर, यौन रोगों हेपेटाइटिस-बी और सी एवं एच०आई०वी० संक्रमण और, इसके साथ-साथ, महिलाओं और पुरूषों में खतरनाक ढंग से बढ़ते यौनिक विकार और अक्षमता की रोशनी में न केवल तमाम चिन्हित मुद्दों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है बल्कि ऐसी रणनीतियाँ भी ज़रूरी हो जाती हैं जिससे वैकल्पिक इतिहासों की सदष्यता सुनिश्चित होती हो तथा, कामुकता (लैंगिकता) की वर्तमान अवधारणा को नये ऐतिहासिक अध्ययनों के मुताबिक नये सिरे से सूत्रबद्ध करना सम्भव हो सके।

यदि हमें ऐसे समाज की रचना करनी है जहाँ लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मयस्सर हो, जहाँ व्यक्तिक विकास के सारे दरवाजे खुले हों, जहाँ इन्सान अपनी कामुकता, अपनी जिंसी एवं जज़्बाती इच्छाओं को साकार करने में सक्षम हो, जहाँ समाज खुद लोगों के अपने यौनिक स्वास्थ्य, दूसरों के यौनिक स्वास्थ्य के विषय में सकारात्मक फैसले करने की ताकत देता हो, ऐसी स्थिति में हमारी जुस्तजू, हमारा संकल्प सामाजिक आदेश का रूप ले लेता है। हमारे समक्ष यही चंद विकल्प हैं जिनकी बुनियाद पर प्रभावी निवारण कार्यक्रम विकसित किये जा सकते हैं, जिनकी बुनियाद पर महिलाओं के यौनिक स्वास्थ्य का मुद्दा तर्कसंगत रूप से संम्बोधित किया जा सकता है।

सारांश

दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में व्यक्तिक पहचान का मुद्दा आत्मन् के अवबोधन से इतर, विस्तृत परिवार की पहचान से निर्धारित होता है। इस परिवार में शामिल होते हैं सहोदर भाई-बहन, प्राकृतिक माता-पिता, चाचा-चाची, साले-सालियाँ और, इन सभी की संतानें इत्यादि। दूसरे शब्दों में, हम कौन हैं-यह तय होता है विस्तृत परिवार-तंत्र में हमारी अवस्थिति से। इन्सान की एक पारिवारिक और सामुदायिक पहचान होती है। इसी पहचान में उसकी ज़ाती पहचान का एहसास गुम हो जाता है। आत्मन के फ़ोकस में व्यक्तिकता नहीं, बल्कि सगोत्रता या रिश्तेदारी होती है। हम जिस भाषा की मदद से इन रिश्तों को नाम देते हैं, उस भाषा के प्रयोजन में यह चीज़ साफ़ नज़र आती है।

इन संस्कृतियों में महिला और पुरूष जेंडर की अपनी ख़ास अवधारणा होती है। यह अवधारणा मैरेज पार्टनर, परिवार और समुदाय के अधिकार और कर्तव्य के रूप में परिभाषित होती है। पुरूष, पुरूष नहीं जब तक शादी-शुदा न हो। औरत, औरत नहीं जब तक वह शादी-शुदा नहीं। जब तक वह माँ-एक अदद नर-बच्चे की माँ नहीं बन जाती। एक उम्र के बाद शादी न करने का मतलब है अपनी मान मर्यादा पर, परिवार की मान मर्यादा पर बट्टा लगाना, किसी विकार या अक्षमता का शर्मनाक संकेत देना शादी ही इन्सान की तनहाई का इलाज है।

दक्षिण एशियाई भाषाओं में समलैंगिकता, विषमलैंगिकता या उभयलैंगिकता जैसे प्रवर्गों के लिए कोई संज्ञा या विशेषण सूचक विशिष्ट शब्द नहीं पाये जाते। और जो कुछ उपलब्ध हैं, वह लैंगिक आचरण के विभिन्न रूपों की पुरुष-सूचक, अपमानजनक व्याख्या के रूप में उपलब्ध हैं जो कि विभेदकारी यौनिक कर्म की अनुभूति कराती है। शब्दावली के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका वैचारिक विन्यास पुरूषत्व और नारित्व की अवधारणा में समाहित रहता है। महिलाओं और पुरूषों के लिए जो आचरण उपयुक्त समझा जाता है, वही यौनिक आचरण के विन्यास को साकार करता है। लेकिन इस विन्यास के दायर-ए-कार में महत्व उसी को मिलता है जो भेदन-क्रिया का पात्र है, और उसी पात्र को आत्म-अभिव्यक्ति मयस्सर होती है।

इस प्रकार, यौनिक आचरण हमेशा व्यक्तिक पहचान को नहीं रेखांकित करता। बल्कि इसका तअल्लुक यौनिक स्खलन की वयक्तिगत इच्छा, सुगमता और इसी किस्म की चीजों से होता है। इस स्खलन को मुहावरे की भाषा में 'जिस्म का तनाव कहते' हैं।

दक्षिण एशियाई संस्कृति में यौनिक आचरण को सूत्रबद्ध करने के लिए निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना जरूरी हैः

- विवाह व्यक्तिगत इच्छाओं या पसन्द का फलन नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है, एक विधान है।

- विवाह एक अनिवार्यता है।

- अकेला होना एक किस्म की विकृति है। सांस्कृतिक आस्थाओं के बिना प्रौढ़ावस्था को नहीं पाया जा सकता।

- शादी का बुनियादी मकसद है प्रजनन-विशेषकर नर बच्चों का प्रजनन।

- यौनिक आनन्द की उत्पत्ति कामुकता या इच्छा से होती है-जहाँ तक पत्नी का प्रश्न है, वह तो कभी-कभी घिनौनी भी लगती है। लेकिन उसका अपना अलग, एक खास मुक़ाम होता है। वह माँ है। माँ होना एक गर्व का मुक़ाम है। पारिवारिक परम्पराओं के पोषण का दायित्व उसी के कंधों पर होता है। वही बच्चों की परवरिश करती है। पत्नी के साथ सेक्स करना ड्यूटी नहीं समझी जातीः यही वह कारण है जिसके चलते वैवाहिक-परिदृश्य से बाहर यौनिक आनन्द तलाश करने के विचार को मान्यता मिली।

- यौनिक आनन्द के लिए लैंगिक (जेंडर) रूचि का सवाल मायने नहीं रखता। और न ही इसका कोई शनाख्ती विन्यास होता है। यहाँ तो बस एक ही चीज काम करती है, और वह है, पुरूषत्व की अनुभूति, मर्दानगी का एहसास!

- इस तरह, पहचान का प्रश्न मूलतः भेदनशीलता के विचार के अधीन होता है। पुरूषत्व ही भेदनशील है। जो भेदनशील नहीं, वह पुरूष नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पार्टनर की चाहत का कोई मतलब नहीं होता। मतलब है, तो वह है आत्मन् का, उसके विलास का। और इस प्रकार, यौनिक आचरण महज़ यौनिक स्खलन का कर्तव्य बन जाता है।

- लैंगिक (जेंडर) विभेद या अलगाव, मादा-निर्मलता, सम्मान का पतन और इस प्रकार के अनेक वैचारिक प्रवर्ग महिलाओं की तुलना में पुरूषों की सुलभता को महत्व देते हैं।

- परिवार का विस्तृत ढाँचा और दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में व्याप्त सम-सामाजिकता उपरोक्त सुलभता को सुगम बनाती है।

- शर्म और बेइज़्ज़ती का एहसास, व्यक्तिक आचरण और अपने कर्तव्य के अनुपालन के सामुदायिक अवबोधन से पनपता है।

- कामुकता और यौनिक आचरण की अवधारणा लैंगिक स्खलन के अधीन होती है। इसी कारणवश यौनिक-पार्टनर बदलते रहते हैं। और एक व्यक्ति के साथ लगातार यौनिक सम्बन्ध स्थापित करने की बात गौण हो जाती है।

भूमिका

- यौनिक सम्बन्धों में जेंडर की कोई ख़ास भूमिका नहीं होती। यह अक्सर कहा जाता है कि फ़लाँ व्यक्ति के अपनी बीवी के साथ रिश्ते हैं, लेकिन वह सेक्स दूसरों के साथ करता है।

- पुरूषों की तुलना में, परिवारिक और सामुदायिक स्तर पर महिलाओं पर अधिक नज़र रखी जाती है। ज़ाहिर है, यह प्रवृत्ति महिलाओं के लिए सामाजिक रूप से अस्वीकार्य सम्बन्ध स्थापित करने में रूकावटें उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को दी जाने वाली सज़ायें भी अधिक कठोर और प्रचण्ड होती हैं।

- इस परिदृश्य में, महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का मुद्दा पुरूषों के आचरण और उसके क्रियान्वयन की पद्धतियों के अधीन होता है। और उनके विन्यास को आकार प्रदान करता है। स्थान, समय, सुलभता, लैंगिक (जेंडर) भूमिकाओं, व्यैक्तिक इच्छाओं और अवसरों जैसी चीजें भी महिलाओं की विन्यास रचना का निर्धारण करती हैं।

नाम में क्या रखा है-उचित शब्दावली का प्रयोजन

गलत इस्तेमाल के बहुत कुछ मायने होते हैं, खासकर जब एड्स-पीड़ित या एड्स वाहक जैसी अपमानजनक शब्दावली आम-तौर से प्रयुक्त होती हो। भाषा ही अर्थ सम्प्रेषित करती है। और एच०आई०वी०/एड्स जैसी महामारी और, सामान्यतः यौनिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में शब्दावली को जो मायने दिये जाते हैं, वे अक्सर अनादरपूर्ण, अति अवैज्ञानिक, अस्प”ट, गलत और उग्र होते हैं। इसके अनेक कारण हैं।

‘निर्दोष’ और ‘दोषी शिकार’

एच०आईवी०-प्रेषण के तीन मुख्य तरीके माने जाते हैंः असुरक्षित यौनकर्म के जरिये, संक्रमित रक्त के माध्यम से तथा, संक्रमित माँ से उसके गर्भित या नवजात शिशु में! यह मान्यता हमें इस नतीजे तक पहुँचाती है कि कुछ लोग अपने संक्रमण के यकीनी तौर पर खुद दोषी होते हैं-यह वह लोग हैं जो असुरक्षित यौनकर्म में मग्न रहते हैं, नशे के इंजेक्शन लेते हैं और, कुछ और हैं, जो ‘निर्दोष-शिकार’ हैं। ‘निर्दोष’ होने का मतलब यह है कि यह लोग अपने संक्रमण के खुद जिम्मेदार नहीं हैं, और वे ‘शिकार’ इसलिए हैं कि उन्हें यह ‘बुरा’ संक्रमण ‘दे’ दिया गया। दरअसल ‘निर्दोष’ और ‘दोषी-शिकार’ की द्वन्दात्मकता ही उस रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वग्रह को सुदृढ़ करती है जो यह बताती है कि लोग कैसे प्रभावित होते हैं! यह रूढ़िबद्ध धारणा, यह पूर्वाग्रह काफी हद तक उन प्रयासों को विफल कर देते हैं जो संक्रमण के निवारण या, सेवाभाव से प्रेरित होते हैं। ‘विक्टिम-शिकार’ या ‘पीड़ित’ शब्द अक्सर ऐसे व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी हमले या हादसे से बुरी तरह प्रभावित हुआ हो। स्पष्टतः, इस अवधारणा में एच०आई०वी० ‘हिंसा’ के अपराधकर्मी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ‘शिकार’ या ‘पीड़ित’ शब्द का मात्र प्रयोजन ही यह ज़ाहिर कर देता है कि कुछ लोग निर्दोष और कुछ लोग, जो संक्रमित हैं, ‘दोषी’ हैं।

नियम 1- ‘दोषी’ या ‘निर्दोष-शिकार’ जैसी कोइ चीज़ नहीं होती। इस शब्दावली का इस्तेमाल न करें।

‘एड्स-ग्रसित’

इसमें शक नहीं कि एच०आई०वी० और एड्स से ग्रसित लोग अनेक प्रकार की बीमारियों और विभेद की पीड़ा सहते हैं। लेकिन यह शब्द, ‘सफरर’ अर्थात “ग्रसित व्यक्ति”, सामान्यतः किसी वैश्विक दुख, वेदना या आक्रोश का भाव प्रकट करता है-निश्चित रूप से यह सच नहीं है। प्रभावी प्रति-वायरल दवाओं के प्रवेश के पश्चात, लोग एच०आई०वी० और एड्स के साथ सामान्य और सक्रिय एवं स्वस्थ्य जीवन व्यतीत कर रहें हैं। इसी लिए इस शब्दावली का प्रयोजन गलत है। यह तो एच०आई०वी० और एड्स के साथ रहने वाले लोगों को कलंकित ही कर देता है। यह पूरी तरह नकारात्मक रूढ़ि है। अर्थगत रूप से इसमें वायरस सम्बन्धित लोगों के लिये कुछ भी सकारात्मक नहीं है।

नियम 2- ‘एड्स-ग्रसित’ शब्दावली का प्रयोग न करें। बल्कि ‘एड्स के साथ रहने वाले लोग’ इस मुहावरे को इस्तेमाल करें।

‘एड्स-परीक्षण’

एड्स एक वैज्ञानिक प्रवर्ग है, किसी एक परीक्षण का इकलौता परिणाम नहीं। दरअसल, इस शब्दावली का प्रयोग एच०आई०वी० वायरस के ऐन्टीजन्स् या ऐन्टीबॉडीज़ के परीक्षण के सम्बन्ध में होता है। और इस तरह, ‘एड्स-परीक्षण’ हमेशा एक भ्रामक शब्दावली के रूप में प्रयुक्त होता है। यह भ्रामक इसलिए भी है क्योंकि इस परीक्षण में शरीर पर वायरस के संम्पर्क से उत्पन्न प्रतिक्रिया, या फिर वायरस के सूक्ष्म ज़र्रों की परस्पर प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इस टेस्ट के पॉजिटिव निकलने का मतलब यह समझा जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति के अन्दर स्वतः एड्स विकसित करने की क्षमता है। यह सही नहीं है, नये उपचार और उपलब्ध दवाओं को देखते हुये बिल्कुल ही नहीं।

नियम 3- 'एड्स-परीक्षण' इस शब्दावली को लोकाचार में न लायें। "एच०आई०वी०-ऐन्टीबॉडी" या "एच०आई०वी०-ऐन्टीजन": यह सही शब्दावली है। एड्स की जाँच के लिये आम तौर से ऐन्टीबॉडी टेस्ट का ही इस्तेमाल होता है।

'एड्स-वाहक'

इस मुहावरे के अर्थभाव से लगता कि एड्स एक व्यक्ति से दूसरे में प्रेषित किया जा सकता है। यह गलत अवधारणा है। दरअसल एड्स पैदा करने वाला एच०आई०वी० वायरस ही प्रेक्ष्य है, एड्स नहीं। एच०आई०वी० ठीक उसी तरह छूत की बीमारी है जिस तरह सर्दी-जुकाम। बस, फर्क इतना है कि यह शरीर के संक्रमित द्रव (यौनिक या अन्य सम्पर्क से) और दूषित रक्त उत्पाद के ज़रिये प्रेषित होता है। संक्रमित माँ अपने बच्चे को भी यह वायरस हस्तांतरित कर सकती है। हालांकि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि एच०आई०वी० के सम्पर्क में आने के बाद अधिकतर लोग संक्रमित रहते हैं। लेकिन शरीर में मौजूद वायरस का स्तर और उसकी प्रवता काफी परिवर्ती होती है। अतः "एड्स-वाहक" एक निरर्थक शब्दावली है। हाँ, एच०आई०वी० के साथ रहने वाले लोग ज़रूर मौजूद हैं।

नियम 4- "एड्स-वाहक" एक गलत मुहावरा है। इसकी जगह "एच०आई०वी० के साथ रहने वाले लोगों" का मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

वैज्ञानिक शब्दावली

एड्स और एच०आई०वी०-यह दोनों शब्द क्रमशः चिकित्सकीय स्थिति और वायरस की विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। जहाँ तक शब्दावली का प्रश्न है, चिकित्सकीय स्थिति, प्रतिरक्षण व्यवस्था (इम्यूनिटी सिस्टम) की कमजोरी से उत्पन्न बीमारियाँ, इनके निवारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवायें, स्वयं वायरस और, इस वायरस पर आक्रांत करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवायें इत्यादि-इन अभिव्यक्तियों की वैज्ञानिक शब्दावली और कार्य-पद्धति निश्चित रूप से जटिल हो सकती है। यौन रोग (STD) और यौनिक स्वास्थ्य की वैज्ञानिक व्याख्या में अनेक सूक्ष्म जीवाणुओं, दवाओं और परिस्थितियों का गुज़र होता है। इसलिये हमारे लिए यह बेहद ज़रूरी है कि एच०आई०वी०/एड्स और यौनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी संप्रेषण प्रकिया में अपने "श्रोता समूह" को अच्छी तरह समझ लें। अधिकतर लोग वैज्ञानिक भाषा की समझ नहीं रखते, इसलिये भाषा का सुबोध्य होना लाज़मी है। मिसाल के तौर पर, सामान्य बीमारियों के संदर्भ में डॉक्टरी शब्दावली के बजाय स्थानीय शब्दावली का सहजता से इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक एच०आई०वी०/एड्स और यौनिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, इस विषय में विज्ञान से इतर बहुत कुछ है। इसलिये, ध्यान रहे कि कहीं हमारे महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक सारोकारों पर विज्ञान का ग्रहण न लग जाय!

नकारात्मकता नहीं, सकारात्मक होने की ज़रूरत

एच०आई०वी० के साथ रहने वाले लोग, हमसे जुदा नहीं, बिल्कुल हम जैसे हाते हैं। हम में से वह जो एक ख़ास किस्म के वायरस से संक्रमित है, और वह जिनका एड्स निदान हो चुका है, वह भी वैसे ही होते हैं जैसे अन्य। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनके विषय में यह स्थापित हो चुका है कि उनकी प्रतिरक्षक व्यवस्था एच०आई०वी० से बिगड़ चुकी है। इसलिए भाषा के इस्तेमाल में यह ज़रूरी है कि आपके शब्दभाव भेदमूलक न हों: कहीं आपकी भाषा का यह मतलब तो नहीं निकलता कि एच०आई०वी०/एड्स सज़ाये मौत है? एच०आई०वी०/एड्स के साथ जीना निरर्थक है? नकारात्मक है? भाषा का अपना प्रभाव क्षेत्र होता है और यह काफी महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल अक़्लमंदी और जिम्मेदारी से होना चाहिये। यह सच है कि खामोशी मौत के समान होती है। लेकिन मुँह खोलने से पहले कृपया सोच लीजिये!

NFIः एक नीति-विषयक वक्तव्य

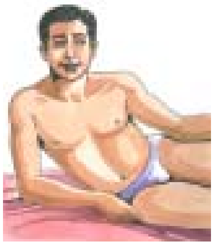

पुरूष-पुरूष कामुकता (लैंगिकता) और यौनिक स्वास्थ्य—हमारा सारोकार इन्हीं मुद्‌दों पर केन्द्रित है। वे पुरूष जो पुरूषों के साथ सेक्स करते हैं, उनके इस यौन कर्म की उनके लिये उपलक्षणा, उनके पुरूष या महिला सेक्स पार्टनर(जो इन पुरूषों में अक्सर होते हैं) के लिये इसका आशय तथा, ऐसे किसी भी व्यक्ति जिनके साथ वे सेक्स करते हैं, उसके लिये ऐसे पुरूष के आचरण का तात्पर्य—हम अपने दायरे-ए-कार में इन सभी प्रकरणों पर फ़ोकस करते हैं।

निम्नलिखित मूलभूत सिद्धान्त हमें अपने इस प्रॉजेक्ट में दिशानिर्देश प्रदान करेंगेः

1. पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों को उनके यौनिक दायित्व और सुरक्षित यौनिक प्रणाली के प्रयोजन की ज़रूरत का एहसास दिलाते हुये, उनके प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना
2. पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों को आवश्यकता के अनुरूप यौन-रोगों उपचार के लिये प्रेरित करना
3. पुरूषों और उनके यौनिक पार्टनरों या/और क्लाइन्ट के परस्पर सम्बन्धों की विश्वस्ता को सम्मान देना
4. बच्चों तथा ‘असहमत’ वयस्कों को अपमानजनक यौनिक सम्बन्धों से सुरक्षित रखना
5. पुरूषों के साथ सेक्स करने पुरूषों को, उनकी महिला पार्टनर्स के प्रजनन तथा यौनिक स्वास्थ्य के प्रति, अधिकाधिक यौनिक दायित्व की महत्वता की अनुभूति कराते हुये प्रोत्साहन देना
6. लैंगिक पार्टनर्स के दरमियान यौनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों के संप्रेषण का समर्थन करना, तथा, पार्टनर्स की जेंडर-निरपेक्षता का लिहाज करते हुये यौन-रोग/एच०आई०वी० संक्रमण के नोटिफिकेशन को सुचारू रूप देना
7. महिला प्रजनन तथा यौनिक स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग से पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों की संक्रमित महिला पार्टनर्स को उपयुक्त सेवायें मुहैय्या कराना

यौनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपः NFI का प्रक्रिया मॉडल

भूमिका

नाज़ फाउन्डेशन इन्ट्रनैशनल् (NFI) ने पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों (MSM), उनके जोड़दारों और परिजनों को एच०आई०वी० प्रेषण एवं अन्य यौन संक्रमणों से सुरक्षित रखने तथा उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण के उद्देश्य में यह हस्तक्षेप-मॉडल कार्यान्वित करने के लिये तैयार किया गया है। इस मॉडल की कई विशेषतायें और प्रक्रियाऐं हैं। इसमें अनेक संसाधनों के प्रयोग की भी जरूयत पड़ती है। इस मॉडल का विवरण निम्नवत् है और, प्रपत्र के अन्त में उसे सारांश भी प्रस्तुत किया गया है।

मॉडल के मुख्य लक्षण

1. MSM सम्बन्धी मुद्दों एवं आवश्यकताओं का अच्छा ज्ञान

इसके अर्जन हेतुः

a. NFI ने पिछले सात वर्षों में आवश्यकताओं के आंकलन से सम्बद्ध अनेक अध्ययन तथा अन्य तथ्य-अध्ययन किये, उनके दस्तावेज़ तैयार किये

b. समुदाय आधारित पहल की प्रक्रिया का सतत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

c. कुछ ख़ास सरोकारों को सम्बोधित करने के उद्देश्य से नई शोध-विषयक साझेदारी का विकास

2. सामुदायिक विकास की साफ़-साफ़ परिभाषित रणनीति

इस रणनीति में MSM आचरणों से सरोकार रखने वाले सभी राज्य-स्तरीय सामुदायिक संगठन (CBOs) शामिल हैं जो NFI द्वारा दिये जा रहे सहयोग से अपने राज्य में जिला-स्तरीय गतिविधियाँ विकसित करते हैं।

3. पैरोकारी की एक सशक्त नीति तथा संचालित समर्थक-प्रक्रिया की रणनीति

इस मॉडल में उच्च स्तरीय पैरोकारी एवं नीति विकास का एक सशक्त पहलू शामिल किया गया है ताकि ऐसा सकारात्मक राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक एवं नीति विकास का माहौल तैयार किया जा सके जिससे संचालित कार्य को संसाधनों एवं समर्थता की कमी न महसूस हो।

मुख्य प्रतिक्रियायें

1. राज्य/देश स्तरीय MSM के सामुदायिक संगठनों से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विकास

NFI द्वारा विकसित फ्रेमवर्क तथा साधनों (टूल्स) की मदद से, खुद NFI नये और वतैमान राज्य या देश स्तरीय पार्टनर-संगठनों को सशक्त करने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान करती है ताकि वे अवश्यकताओं के आंकलन सम्बन्धी अध्ययनों का संचालन और MSM आधारित सामुदायिक संगठनों के कार्यक्रमों का विकास कर सकें।

2. राज्य/देश स्तर पर विस्तार-स्थानीय MSM के CBO कार्यक्रम विकास हेतु सहयोग

राज्य स्तर पर स्थापित MSM CBO कार्यक्रमों की बुनियाद पर, NFI इन CBOs को प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करता है ताकि वे पूरे राज्य में स्थानीय MSM के नेतृत्व में सामुदायिक कार्यक्रमों का विकास कर सकें।

3. उच्च-स्तरीय पैरोकारी, नीति विकास तथा संचालित सहयोग

मॉडल के तहत उच्च स्तरीय पैरोकारी तथा नीति-विकास सम्बन्धी अनेक श्रेणीबद्ध प्रक्रियाओं के संचालन की ज़िम्मेदारी ली जाती है। ताकि एक ऐसा सकारात्मक राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक एवं नीति विकास का माहौल पैदा किया जा सके जिससे पूरे राज्स में जिला स्तर पर MSM CBOs को इतने संसाधन और समर्थता प्राप्त हो सके जिससे वे अपनी सेवायें संचालित कर सकें।

इसके साथ-साथ, NFI द्वारा MSM CBO कार्यक्रमों को नियमित प्रशिक्षण, अनुश्रवण व मूल्यांकन जैसी अनेक अतिरिक्त सहयोगी सेवायें प्रदान की जाती है जो हस्तक्षेप तथा संगठन विकास में सहायक होती है।

मुख्य साधन

MSM आधारित सामुदायिक संगठन के विकास के लिए NFI ने साधनों (टूल्स) की एक पूरी श्रंखला विकसित की हैः

- प्रशिक्षण मेनुअल, MSM के नेतृत्व में संचालित CBO कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुरूप निर्देशिकायें
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की एक सुचारू व्यवस्था
- MSM आधारित CBO कार्यक्रमों के लिये आचरण परिवर्तन पर केन्द्रित संप्रेषण संसाधन

कुछ अन्य टूल्स (साधन) अभी विकसित हो रहे हैंः

- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था का एक व्यापक एवं कम्प्यूटर-आधारित रूपान्तरण
- MSM के संगठनात्मक विकास सम्बन्धी बहुभाषी टूल-किट
- गुदा सम्बन्धी यौनिक संक्रमणों की एलॉगरिदम् (Alogrithm)
- पैरोकारी का टूल-किट

मॉडल का सारांश

निवेश (इनपुट), निर्गत (आउटपुट) एवं परिणाम (आउटपुट), प्रतिक्रियाओं तथा गतिविधियों के सन्दर्भ में प्रस्तुत मॉडल का सारसंक्षेप निमनवत हैः

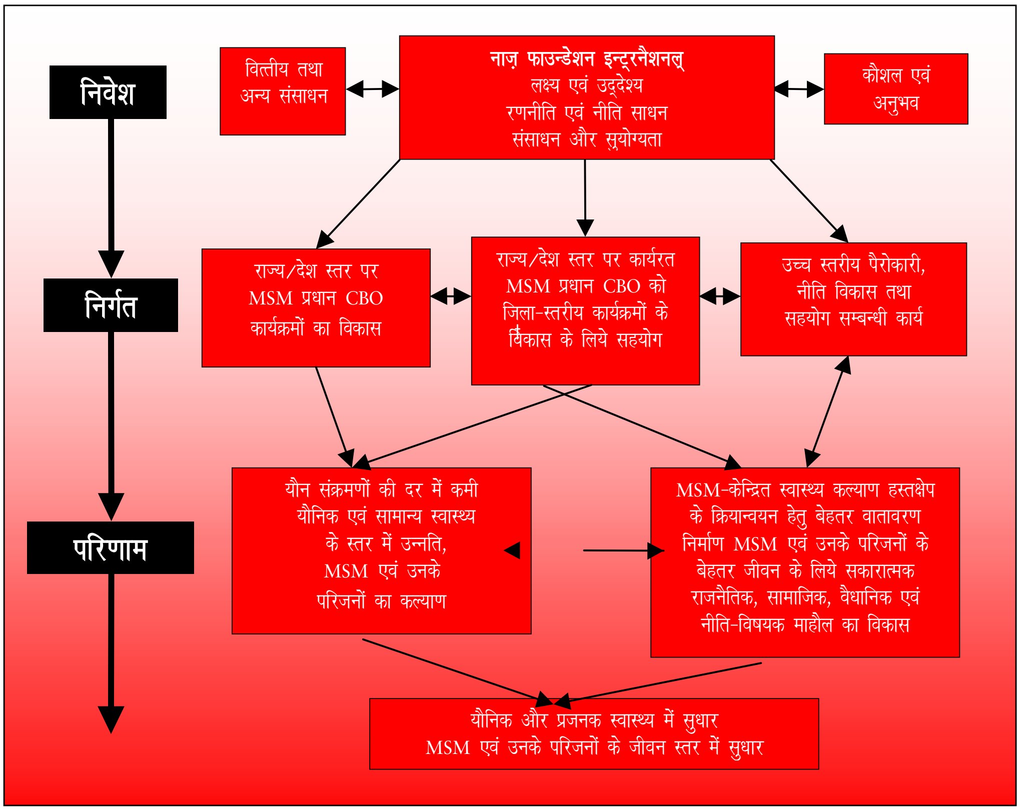

निवेश
निर्गत
परिणाम
वित्तीय तथा अन्य संसाधन
नाज़ फाउन्डेशन इन्ट्रनैशनल्
लक्ष्य एवं उद्देश्य
रणनीति एवं नीति साधन
संसाधन और सुयोग्यता
कौशल एवं अनुभव
राज्य/देश स्तर पर MSM प्रधान CBO कार्यक्रमों का विकास
राज्य/देश स्तर पर कार्यरत MSM प्रधान CBO को जिला-स्तरीय कार्यक्रमों के विकास के लिये सहयोग
उच्च स्तरीय पैरोकारी, नीति विकास तथा सहयोग सम्बन्धी कार्य
यौन संक्रमणों की दर में कमी
यौनिक एवं सामान्य स्वास्थ्य के स्तर में उन्नति,
MSM एवं उनके परिजनों का कल्याण
MSM-केन्द्रित स्वास्थ्य कल्याण हस्तक्षेप के क्रियान्वयन हेतु बेहतर वातावरण निर्माण MSM एवं उनके परिजनों के बेहतर जीवन के लिये सकारात्मक राजनैतिक, सामाजिक, वैधानिक एवं नीति-विषयक माहौल का विकास
यौनिक और प्रजनक स्वास्थ्य में सुधार
MSM एवं उनके परिजनों के जीवन स्तर में सुधार

परिवर्णी शब्द

AIDS	उपार्जित प्रतिरक्षक अभाव संलक्षण
ARV	प्रतिपश्च वायरस
BCC	आचरण परिवर्तन संप्रेषण
IDU	स्वापक प्रयोक्ता को सुई लगाना
GO	सरकारी संगठन
GPM	पुरूषों की सामान्य जनसंख्या
HIV	मानव प्रतिरक्षक अभाव वायरस
MSM	पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूष
MSW	पुरूष यौन कर्मी
NGO	गैर सरकारी संगठन
STI	यौन संक्रमण
STD	यौन प्रेषित रोग (यौन रोग)
UNAIDS	AIDS पर संयुक्त राष्ट्र संघ का साझा कार्यक्रम
WHO	विश्व स्वास्थ्य संगठन

आभार/स्रोत

इस दस्तावेज में इस्तेमाल किये गये निम्न स्रोतों के प्रति के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं

- द वर्कर्स हैंडबुकः द सेक्स वर्कर्स आउटरीच प्रॉजेक्ट-आस्ट्रेलिया, 1992
- द अनूसेंसर्ड गाइड टू सेक्सुअल हेल्थ, हेलेन नॉक्स, नॉक्स पब्लिशिंग, यू.के., 1995
- मेकिंग सेक्स वर्क सेफ़, नेटवर्क ऑन सेक्स वर्क प्रॉजेक्ट, यू.के., 1997
- ए बी सी ऑव सेक्सुअली ट्रांस्मिटेड डिज़ीज़ेज़, सम्पादनः माइकेल एडलर, बी एम जे, यू.के. , 1987
- ए बी सी ऑव एड्स, माइकेल एडलर (स०); बी.एम.जे., 1997
- वर्किंग विद् अनसर्टेनिटी, हिलेरी डिक्सन और पीटर गॉर्डन, एफ पी ए एज्युकेशन यूनिट, यू. के., 1987
- वेसेक्स गे मेन्स हेल्थ फोरम, यू.के. फार STD टैक्स्ट
- STD/AIDS पीअर एज्यूकेटर ट्रेनिंग मैनुअल, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, तन्जानियाँ, 1992
- UNDP: HIV/AIDS प्रोजेक्ट प्लैनिंग मैनुअल
- DFID, यू.के., प्रोजेक्ट लॉजिकल फ्रेमवर्क
- UNAIDS: प्लैनिंग एण्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑन टारगेटेड इन्टरवेंशन्स-पार्टिसिपेंन्ट्स गाइड (ड्राफ्ट)

इस संसाधन के विकास और प्रस्तुति के लिए हम UNAIDS और पार्टनरशिप यूनिट से सम्बद्ध कैल एलमेडल के अपार सहयोग के लिये शुक्रगुजार हैं।